महत्वपूर्ण एवं खास

स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन का ग्रीष्मावकाश संबंधी नए निर्देश जारी

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा ग्रीष्म अवकाश संबंधी नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभागीय सम संख्यक आदेश 21 फरवरी 2022 में संशोधन करते हुए भीषण गर्मी के कारण राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों में 24 अप्रैल 2022 से ग्रीष्मावकाश प्रारंभ कर दिया जाए। केवल कुछ विषयों में एंड लाइन असेसमेंट दिनांक 25 अप्रैल 2022 को किया जाना है, उन विषयों में जो विद्यार्थी एंड लाइन असेसमेंट के लिए स्वेच्छा से स्कूल आना चाहते हैं उनका उन विषयों का ऑनलाइन असेसमेंट दिनांक 25 अप्रैल 2022 को किया जाएगा। इसके पश्चात अगले शिक्षा सत्र के लिए स्कूल 15 जून 2022 से दोबारा खुलेंगे। यह आदेश शासकीय एवं निजी दोनों प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा।

25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस पर एक दिवसीय कार्यशाला का होगा आयोजन

रायगढ़। 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन नवाचार के माध्यम से वैश्विक मलेरिया रोग के बोझ को कम करें और जीवन बचाएं विषय पर किया जाना है। जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ के आरोग्यम सभाकक्ष में दोपहर 2 बजे से किया जाएगा।

स्वामी आत्मानंद विद्यालय: द्वितीय चरण का साक्षात्कार 25 अप्रैल को

रायगढ़। जिले में स्वामी आत्मानंद योजनान्तर्गत संचालित, प्रस्तावित हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए 7 अप्रैल 2022 को साक्षात्कार आयोजित किया गया था। उक्त साक्षात्कार के प्रथम चरण में चयनित व्याख्याता/शिक्षक/कर्मचारियों का द्वितीय चरण का साक्षात्कार 25 अप्रैल 2022 को पूर्वान्ह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़ में आयोजित की जाएगी। उक्त साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है। अनुपस्थित या अनुपयुक्त पाये जाने पर व्याख्याता/शिक्षक/कर्मचारियों का प्रतिनियुक्ति हेतु चयन नहीं किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 11 डीजे एवं 53 एडीजे के किये तबादले

बिलासपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ने उच्च न्यायायिक सेवा के 11 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों एवं 53 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों का तबादला आदेश जारी किया है। छग हाईकोर्ट रजिस्ट्रार आफिस से मिली जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल छग हाईकोर्ट संजयकुमार जायसवाल दुर्ग का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार सतर्कता जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाये गये है। इसी तरह बिलासपुर कोरबा, रायगढ़ सहित 11 जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के स्थानांतरण किये गये हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के 53 तबादले किये गये है जिनमें कुछ अपर एवं जिला न्यायाधीश हाईकोर्ट में पदस्थ थे।

पिकअप की ठोकर से दो घायल

महासमुंद (आरएनएस)। खल्लारी थाना क्षेत्र में पिकअप की ठोकर से बाइक सवार दो लोग घायल हो गए। पिथौरा निवासी अनुराग पाल ने पुलिस को बताया कि बीते 17 अप्रैल को वह जागेश्वर निर्मलकर के साथ खल्लारी मेला जा रहा था। रास्ते में एनएच 353 से खल्लारी मंदिर मार्ग पुराना थाना के आगे विपरीत दिशा से आ रही सफेद रंग की पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 23/0260 के चालक ने बाइक को सामने से ठोकर मार दिया जिससे दोनों घायल हो गए।

अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो ब्लड यूनिट-कलेक्टर

कलेक्टर भीम सिंह ने जिला स्वास्थ्य समिति की ली समीक्षा बैठक

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने आज जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर सिंह ने इस दौरान जिले के सभी सीएचसी एवं पीएचसी के सुविधाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा किए। उन्होंने सभी बीएमओ को निर्देशित किया कि सभी हॉस्पिटल में लगी मशीनें फंक्शनल हो इसकी नियमित मॉनिटिरिंग करें, पर्याप्त मात्रा में ब्लड यूनिट स्टोर करके रखे तथा मरीजों को सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिले यह सुनिश्चित करें। कलेक्टर सिंह ने सभी सीएचसी के रेनोवेशन एवं मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करते हुए शेष सभी कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ डॉ.रवि मित्तल भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर सिंह ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु स्वीकृत कार्यो की समीक्षा करते हुए अस्पतालों में चल रहे निर्माण कार्यो की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन पीएचसी में अन्य आवश्यक मूलभूत कार्य करवाने की आवश्यकता है तो उनका प्राक्कलन तैयार किया जाए। इसी क्रम में उन्होंने विभिन्न ब्लाक के निर्माणाधीन एनआरसी, हमर लैब व ब्लड बैंक के कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बरमकेला के एनआरसी के रंगाई व नल फिटिंग के कार्य को शीघ्र पूर्ण करें। जिससे एनआरसी का संचालन प्रारंभ किया जा सके तथा अन्य एनआरसी के शेष कार्यो को भी तेजी से पूरा करें। कलेक्टर सिंह ने हमर लैब एवं ब्लड बैंक के कार्यो की समीक्षा किए। निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर कलेक्टर सिंह ने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों पर नाराजगी जतायी। उन्होंने गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए काम जल्द पूरा करने के लिए कहा। कलेक्टर सिंह ने अस्पतालों में मानव संसाधन की तैनाती पर भी चर्चा की। जहां आवश्यकता है वहां अतिरिक्त एएनएम व मेडिकल स्टाफ पदस्थ करने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने स्वास्थ्य केन्द्रों में ब्लड स्टोरेज की भी समीक्षा की। उन्होंने बीएमओ को प्रत्येक अस्पतालों में ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। जिले में ब्लड की पर्याप्त उपलब्धता के लिए रूटिन ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। जिससे जिले में ब्लड की कमी से मरीजों को परेशानी न हो।

इस दौरान कलेक्टर सिंह ने हाट बाजार क्लिनिक संचालन की भी विकासखंडवार समीक्षा की। उन्होंने हाट बाजार में उपलब्ध कराए जाने वाले बीपी, शुगर, टीबी, मलेरिया, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की जांच और उपचार सुविधा के आधार पर सभी बीएमओ और बीपीएम से जानकारी ली। उन्होंने लैलूंगा, धरमजयगढ़ में जांच संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक के दौरान मरीजों के परिवहन पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केन्द्र आने वाले मरीजों द्वारा वाहन प्राइवेट व शासकीय वाहन प्रयोग किया गया है, इसकी एंट्री भी पंजी में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बीएमओ को निर्देश किया कि 102 व 108 वाहनों की कंडिशन एवं कितने दिन संचालित हो रही है अथवा खड़ी है रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि मरीजों से किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाये।

इसी प्रकार धरमजयगढ़ बीएमओ द्वारा बताया कि दुर्गम इलाकों के लिए खरीदी गई बाइक एम्बुलेंस का संचालन भी मरीजों के परिवहन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। कलेक्टर सिंह ने बैठक में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, संस्थागत प्रसव व बच्चों के टीकाकरण पर भी चर्चा की। जिन विकासखंडों का प्रदर्शन इनमें कमजोर रहा उन्हें काम बेहतर करने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने सभी बीएमओ को निर्देशित किया कि सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ मरीजो को मिलना चाहिए। कलेक्टर सिंह ने पिछले एक माह में डॉक्टर्स द्वारा ओपीडी और आईपीडी में मरीजों की जांच की भी समीक्षा बैठक के दौरान की। कम ओपीडी संख्या वाले डॉक्टर्स को अपने ड्यूटी वाले समय में अस्पताल में नियमित रूप से उपस्थित रहने के निर्देश देते हुए जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने एनआरसी में बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश दिए साथ ही कहा कि बाल संदर्भ शिविर में डॉक्टर उपस्थित होने चाहिए। इस दौरान सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी, मेडिकल कालेज अधीक्षक डॉ मनोज मिंज, पीडब्लूडी, सीजीएमएससी, स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी सहित सभी विकासखंडों के बीएमओ व बीपीएम उपस्थित रहे।

मम्मी पापा के मार के डर से कड़ी धूप में घर छोड़कर भागा 10 साल का बालक

चक्रधरनगर राइनो ने किया चाइल्ड लाइन के सुपुर्द

रायगढ़। बालकों का हृदय काफी कोमल होता है कभी-कभी उनसे अत्यधिक डांट फटकार हानिकारक सिद्ध होता है। ऐसा ही एक वाक्या आज चक्रधरनगर अंतर्गत सामने आया। दिनांक 21.04.2022 के दोपहर चक्रधरनगर राइनो को साहिब राम कॉलोनी के पास एक गुम बच्चे के मिलने का इंवेट मिला। कॉलर से संपर्क कर डायल 112 में कार्यरत आरक्षक जगदेव मरकाम और ERV वाहन का चालक विजय शर्मा मौके पर पहुंचे। डायल 112 वाहन को देखकर भागने लगा जिसे आरक्षक जगदेव मरकाम दौड़ाकर पकड़ा और पूछताछ किया। 10 वर्षीय बालक पास के ही कॉलोनी का रहने वाला बताया और बोला कि "मैं अपने घर नहीं जाउंगा, मम्मी-पापा मारते हैं" काफी समझाने के बाद भी जब बालक घर जाने को तैयार नहीं हुआ तो आरक्षक उसे वाहन में बिठाकर थाने लाये। थाने के स्टाफ द्वारा भी बालक को समझाया गया किन्तु बालक हट कर ही रहा था। तब चाइल्ड लाइन को सूचना देने पर चाइल्ड लाइन से नारायण यादव थाना आये जिनके द्वारा भी बालक को समझाने का प्रयास किया गया किन्तु बालक फूट-फूट कर रोने लगा जिसके बाद नारायण यादव बालक को अपने साथ चाइल्ड लाइन लेकर गये। बालक के माता-पिता को चक्रधरनगर पुलिस द्वारा सूचना दे दी गई है।

मवेशी व्यापारियों से लूटपाट करने वाले आरोपी को कोरबा बरपाली से किया गया गिरफ्तार

आरोपी से नकदी रकम और स्कार्पियों वाहन जब्त, लैलूंगा पुलिस की कार्यवाई

रायगढ़। थाना लैलूंगा क्षेत्र अन्तर्गत दिनांक 10.04.2022 को चिल्कागुडा जंगल के रास्ते मवेशी लेकर जा रहे मवेशी व्यापारियों के साथ झगरपुर, लैलूंगा का रहने वाला सलीम खान और उसका साथी तिलकराम 16,900 रूपये लूटकर भाग गये थे। थाना लैलूंगा में आरोपियों पर लूट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। फरार आरोपी सलीम खान को टीआई लैलूंगा प्रवीण मिंज द्वारा बरपाली कोरबा से हिरासत में लेकर लैलूंगा लाया गया जिससे नकदी रकम 3000 रूपये और स्कार्पियो वाहन की जप्ती की गई है।

घटना के संबंध में ग्राम हाथीबेड, तुमला जशपुर के रहने वाले सुद्रो यादव पिता परमानंद यादव (23 साल) दिनांक 11.04.2022 को थाना लैलूंगा में लूट की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। रिपोर्टकर्ता बताया कि दिनांक 10/04/2022 को अपने साथी संतु यादव पिता लेखन यादव निवासी ग्राम हाथीबेड और एवज साय पिता पुरन साय साकिन सिंगीबहार के साथ मवेशी बाजार आमापाली से 26 नग मवेशी लेकर जशपुर आ रहे थे, शाम करीब 04/00 बजे ग्राम चिल्कागुडा के जंगल के पास झगरपुर लैलूंगा का सलीम खान अपने स्कार्पियो वाहन में तिलकराम के साथ आया और गाली गुप्तार कर सुद्रो यादव से 9,400 रूपये, संतु यादव से 3,100 रूपये और एवज साय से 4,400 रूपये कुल रकम 16,900 रूपये को लूटकर ले गए और इनके मवेशी को जंगल में भगा दिए। रिपोर्ट पर लैलूंगा पुलिस आरोपियों के विरूद्ध धारा 394, 34 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पीड़ित सुद्रो यादव बताया कि सलीम खान भी मवेशी व्यापारी है, पुराना झगड़ा विवाद को लेकर झगड़ा मारपीट कर लूटपाट किया और मवेशियों को जंगल में भगा दिया था। फरार आरोपी सलीम खान के बरपाली, कोरबा में देखे जाने की सूचना पर थाना प्रभारी लैलूंगा टीआई प्रवीण मिंज हमराह स्टाफ एसआई बी.एस. पैंकरा एवं हमराह स्टाफ के साथ बरपाली कोरबा से आरोपी सलीम खान पिता हलीम खान उम्र 37 साल निवासी झगरपुर को थाना लैलूंगा लाया गया। आरोपी द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया है जिसके मेमोरेंडम पर 3000 रूपये नकद एवं घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन CG 13 AJ 9015 को जप्त कर आज दिनांक 21.04.2022 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एक अन्य फरार आरोपी तिलकराम के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार किया जावेगा।

नाबालिग बालिका को भगा ले जाने वाला युवक गिरफ्तार

लापता की रिपोर्ट पर मुस्तैदी से कार्रवाई की सरिया पुलिस

रिपोर्ट दर्ज के 12 घंटे के भीतर सरिया पुलिस ने बालिका को किया दस्तयाब

रायगढ़। थानाक्षेत्र से लापता हुई 15 वर्षीय नाबालिग बालिका की खोजबिन में मुस्तैदी से पतासाजी दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल द्वारा लगातार बालिका एवं संदेही युवक के मिलने के स्थानों पर दबिश दिया जा रहा था। सरिया पुलिस के बढते दबाव के बीच अपराध कायमी के 12 घंटे के भीतर ही दिनांक 21.04.2022 को आरोपी युवक बालिका को गांव के बाहर छोड़कर भाग रहा था जिसे गांववाले देखकर पकड़ लिये। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे एसआई कमल किशोर पटेल द्वारा अपहृत बालिका एवं आरोपी युवक को थाना लेकर आया गया। आरोपी युवक को अपहरण, दुष्कर्म सहित पोक्सो एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

लापता बालिका के पिता द्वारा कल दिनांक 20.04.2022 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसकी लड़की दिनांक 17/04/2022 के सुबह घर में बिना बताये कही चली गई है। जिसका आस पास एवं रिस्तेदारो में पता तलाश किये लेकिन कोई पता नहीं चला है। थाना प्रभारी सरिया द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 90/2022 धारा 363 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध जांच विवेचना में लिया गया। बालिका के घरवालों, चचेरे भाई-बहन एवं सहेलियों से पूछताछ में ग्राम जलगढ़ के युवक संजय चौहान के साथ बालिका का बातचीत करने की जानकारी मिली, तत्काल थाना प्रभारी सरिया अपने स्टाफ के साथ संदेही युवक के घर दबिश दिया गया जो फरार था जिससे उस पर बालिका को भगा ले जाने का संदेह और पुख्ता हुआ। थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर अपराध कायमी के बाद से लगातार संदेही युवक के संपर्क में रहे दोस्तों, रिस्तेदारों के यहां तस्दीक कराकर जानकारी लिया जा रहा था। सरिया पुलिस के बढते दबाव को देखकर आज दिनांक21.04.2022 को संजय चौहान बालिका को बाइक पर उसके गांव के बाहर छोड़कर घर जाने के लिये बोला और स्वयं फरार हो रहा था। बालिका को गांव में देख उसके परिजन सरिया पुलिस को सूचना दिये। तत्काल थाना प्रभारी सरिया बालिका के गांव पहुंचे, जहां से बालिका एवं आरोपी संजय चौहान पिता गिरधारी उम्र 23 वर्ष सा. जलगढ़ थाना सरिया लेकर थाना लाये। बालिका बताई कि आरोपी उसे मंदिर में शादी करेंगे कहकर बहला फुसलाकर भगाकर रायगढ़, पूंजीपथरा ले गया और शारीरिक संबंध स्थापित किया। बालिका का कथन, मुलाहिजा पश्चात प्रकरण में धारा 366,376 IPC 4,6 Pocso Act विस्तारित कर आरोपी संजय चौहान को गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया, जहां से जेल दाखिल किया गया है।

हाई स्कूल पंचपारा में हुआ सरस्वती सायकल का वितरण, 23 छात्राएं हुई लाभान्वित

रायगढ़। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंचपारा विकासखण्ड पुसौर में छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी योजना सरस्वती सायकल योजना के अंतर्गत 23 बालिकाओं को सायकल वितरण किया गया। इस मौके पर जनपद पंचायत अध्यक्ष सुशील भोय, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष गोपी चौधरी, जनपद पंचायत सदस्य अशोक गुप्ता, शाला विकास समिति अध्यक्ष जीवन पाव, सरपंच ग्राम पंचायत कोसमन्दा विकास पटेल एवं प्राचार्य आनंद राम पटेल एवं स्कूल के समस्त व्याख्याता, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रही। जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि आप सबको नि:शुल्क में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सायकिल का वितरण किया जा रहा है, ताकि आप सभी को अपने घर से स्कूल आने जाने में असुविधा न हो और आप अपना पढ़ाई निरन्तर जारी रख सकें। यह शासन की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका आप सभी को लाभ मिल रहा है। सायकिल पाकर सभी बच्चों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी, सायकिल पाने वाले सभी छात्राओं ने छत्तीसगढ़ शासन को इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद देते हुए स्कूल में नियमित रूप से आने का वचन दिया।

अग्नि सुरक्षा सेवा सप्ताह का हुआ आयोजन

विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आग से बचाव के संबंध में फायर डेमो देकर छात्रों को दी गयी जानकारी

रायगढ़। जिला अग्निशमन अधिकारी बी.कुजूर के मार्गदर्शन में अग्नि सुरक्षा सेवा सप्ताह का आयोजन 14 से 20 अप्रैल 2022 तक किया गया। इस दौरान रायगढ़ शहर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आग से बचाव के संबंध में फायर डेमो देकर छात्रों की जानकारी दी गयी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मॉल, सिनेमा घरों आदि जगहों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी आग से बचाव के बारे में पाम्पलेट वितरण का प्रचार-प्रसार किया गया। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर 20 अप्रैल को शहर के विभिन्न मार्गो में जागरूकता रैली निकाल कर लोगों को आग से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया।

आग से बचाव के उपाय- जिला सेनानी एवं जिला अग्नि शमन अधिकारी नगर सेना, रायगढ़ ने जनसामान्य को आग से बचाव के संबंध में कुछ उपाय बताये है। जैसे आग लगने पर तुरंत डायल नंबर 112 पर कॉल करके सूचना दें। आग लगने पर सबसे पहले इमारत की अग्नि चेतावनी की घंटी (फायर अलार्म) को सक्रिय करें। आग लगने पर लिफ्ट का उपयोग न करें, केवल सीढियों का ही प्रयोग करें। धुएं से घिरे होने पर अपने नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढंक ले। अपने घर और कार्यालय में स्मोक (धुआं)डिटेक्टर अवश्य लगाएं क्योंकि अपनी सुरक्षा के उपाय करना ही बेहतर और अच्छा होता है। अग्नि शमक यन्त्र का उपयोग कब और कैसे करना है इस बारे में अवश्य जाने और लोगों को भी इसकी जानकारी दें। घटना स्थल के नजदीक भीड़ न लगने दें, इससे आपातकालीन अग्निशमन सेवा और बचाव कार्य में बाधा होती है। ऐसी स्थिति में तुरंत डायल नंबर 112 पर कॉल करें और वहां से दूर हो जाए। यदि कपड़ों में आग लग जाए तो भागे नहीं, इससे आग और भड़केगी ऐसे वक्त में जमीन पर लेट जाए और उलट-पलट करें। किसी कम्बल, कोट या भारी कपड़े से ढककर आग बुझाएं। अगर आप आपातकालीन सेवा और अग्नि सेवा और अग्नि सुरक्षा में प्रशिक्षित नहीं है तो आग में फंसे लोगों को निर्देश दें। आग लगने पर चिल्ला-चिल्लाकर लोगों को सचेत करें।

नाबालिग बालिका को लेकर फरार हुआ युवक गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से बालिका दस्तयाब

बालिका को गांव के समीप छिपाकर रखा था आरोपी, चक्रधरनगर पुलिस ने की कार्यवाई

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा के कुशल दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी लखन पटले के मार्गदर्शन पर नाबालिक बच्चों के गुमने की रिपोर्ट पर तत्परता से कार्यवाही कर नाबालिक बच्चों की पता तलाश किया जा रहा है, जिससे पुलिस टीमों को लगातार सफलता मिल रही है। दिनांक 21.04.2022 को चक्रधरनगर पुलिस के हाथ भी थानाक्षेत्र से 03 दिन पहले गुम हुये बालिका की दस्तयाबी में सफलता मिली है। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा नाबालिगों को भगा ले जाने वाले आरोपी युवक पर विधि सम्मत कार्रवाई कर गुमशुदा को विधिवत उनके परिजन के सुपुर्द किया गया हैं।

घटना के संबंध में बालिका की मां द्वारा थाना चक्रधरनगर में दिनांक 19.04.2022 को रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 18.04.22 को दोपहर काम कर करीबन 12:00 बजे घर आई तो इसकी लड़की घर पर नहीं थी। इसकी जेठानी बताई कि लड़की करीब 10:00 बजे तक घर में थी। तब आसपास मोहल्ले एवं जंगल में पता तलाश किये नहीं मिली। महिला के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना चक्रधरनगर में अप.क्र. 239/2022 धारा 363 भादवि के अंतर्गत पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी चक्रधरनगर टीआई अभिनव कांत सिंह द्वारा महिला उप निरीक्षक संतरा चौहान को बालिका की पतासाजी करने निर्देशित किया गया। उप निरीक्षक संतरा चौहान के साथ स्टाफ द्वारा नाबालिक बालिका के परिजन एवं सहेलियों से पूछताछ कर लगातार पतासाजी के प्रयास किये जा रहे थे कि इसी बीच जानकारी मिली कि बालिका पूर्व में भी घर से भागी थी जिसके बाद गांव के संदेही युवक रशन राठिया का पता तलाश किया गया जो घर पर मिला। पुलिस संदेही से पूछताछ की तो बालिका से मिलने जुलने से साफ इंकार कर दिया और बालिका के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया। पुलिस संदेही पर निगाह रखे हुये थे कि पुलिस को जानकारी मिली कि रशन राठिया जिस शादाम्बरी फैक्टरी में टैंकर चलाने का काम करता है, वहां 2-3 दिनों से काम पर नहीं जा रहा है। पुलिस द्वारा मुखबिर एवं स्टाफ संदेही पर लगाया गया तब जानकारी मिला कि रशन बालिका को बहला फुसलाकर कर गांव के बाहर ही एक घर में रखा था जो बालिका को वहां से भी लेकर फरार होने के फिराक में था। पुलिस टीम बालिका को आरोपी रशन राठिया पिता स्व. सुखराम राठिया 24 साल चक्रधरनगर के कब्जे से बरामद कर बालिका के कथन, मुलाहिजा रिपोर्ट पश्चात प्रकरण में धारा 366, 376 IPC 4, 6 Pocso Act की धाराएं बढाकर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड बाद जेल दाखिल किया गया है।

उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक अनिवकांत सिंह, उनि संतरा चौहान, प्रधान आरक्षक लोमस राजपूत, आरक्षक विक्कू सिंह, चूड़ामणि गुप्ता , सुशील यादव की सराहनीय भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480